रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2016/आषाढ़ 24, 1938
No. 289] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2016/ASADHA 24, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली,13 जुलाई, 2016

फा. सं. 3–14एफ/अधिसूचना (न्यूट्रास्टिक्ल्स)/एफएसएसएआई–2013.–खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य उत्पांद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2014, का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं.3–14एफ/अधिसूचना (न्यूट्रास्टिक्ल्स)/एफएसएसएआई–2013, दिनांक 11 दिसंबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 फरवरी, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन विनिमयों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्तय होंगे ।

2. (क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2.1,उप विनियमों 2.1.9 में .

(i) खंड 2 में, पहले पैरा के बाद निम्नलिखित पैरा को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"इसमें क्रिपथिकोडीनियम कोहिनी, मारटियरिला अल्पाइना शिजोक्रिट्रियम स्पेशीस और उलकीनिया स्पेशीस से प्राप्त काई और फंगल तेल डोकोसहेक्सीओनिक एसिड (डीएचए) और अर्चीडियोनिक एसिड (एआरए) स्रोत के रूप में कुल वसा अम्लो का अधिकतम 0.5 प्रतिशत स्तर पर डीएचए शामिल हो सकता है। और एआरएः डीएचए का न्यूनतम अनुपात 1:1 होगा :

यदि दावा डी एच ए जोड़े जाने के समबन्ध में है तो डीएचए सामग्री कुल वसीय अम्लों के 0.2 प्रतिशत से कम नहीं होगी: ''

(ii) खंड 5 में, पहले पैरा के पश्चात बाद निम्नलिखित पैरा को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः

"इसमें क्रिपथिकोडीनियम कोहिनी, मारटियरिला अल्पाइना शिजोक्रिट्रियम स्पेशीस और उलकीनिया स्पेशीस से प्राप्त काई और फंगल तेल डोकोसहेक्सीओनिक एसिड (डीएचए) और अर्चीडियोनिक एसिड (एआरए) स्रोत के रूप में कुल वसा अम्लो का अधिकतम 0.5 प्रतिशत स्तर पर डीएचए शामिल हो सकता है। और एआरएः डीएचए का न्यूनतम अनुपात 1:1 होगा :

यदि दावा डी एच ए जोड़े जाने के समबन्ध में है तो डीएचए सामग्री कुल वसीय अम्लों के 0.2 प्रतिशत से कम नहीं होगी:

(ख) उक्त विनियमों में, विनियम 2.7 में–

(i) उप–विनियम 2.7.1 में, क्र.सं. (xxv) के पश्चात , निम्नलिखित क्र.सं. को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(xxvi) कुल चीनी का 50 प्रतिशत पर (अधिकतम) आइसोमाल्टूलोस उत्पाद की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले वगैर '' ;

(ii) उप–विनियम 2.7.2 में, क्र.सं. (xvii), के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(xviii) कुल चीनी का 50 प्रतिशत पर (अधिकतम) आइसोमाल्टूलोस उत्पाद की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले वगैर '' ;

(iii) उप–विनियम 2.7.3 में, क्रम सं. (ज) के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. को अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(i) कुल चीनी का 50 प्रतिशत पर (अधिकतम) आइसोमाल्टूलोस उत्पाद की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले वगैर'' ;

(iv) उप–विनियम 2.7.4 में, प्रथम पैरा के पश्चात, निम्नलिखित पैरा को अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"उत्पाद में कुल चीनी का 50 प्रतिशत (अधिकतम) आइसोमाल्टूलोस उत्पाद की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले वगैर शामिल हो सकता है '';

(v) उप–विनियम 2.7.5 में, दूसरे पैरा के पश्चात निम्नलिखित पैरा को अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

''आइस *लोलिज* या खाने योग्य बर्फ और आइस कैंडी में कुल चीनी का 50 प्रतिशत आइसोमाल्टूलोस (अधिकतम) उत्पाद की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले वगैर शामिल हो सकता है'';

(ग) उक्त कथित विनियमों में, विनियम 2.11 के , उप–विनियम 2.11.7 के पश्चात , निम्नलिखित उप–विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"2.11.8: फाइबर आहार (डेक्स्ट्रीन–घुलनशील फाइबर) से अर्थ डेक्स्ट्रीफिकेशन से प्राप्त मूल प्राकृतिक ग्लूकोज पालीमर अर्थात् विशिष्ट अवस्थाओं में अम्लीकृत स्टार्च का शुष्क विमर्जन तथा उसका और आगे शुद्धीकरण करना अभिप्रेत है। आहार फाइबर डेक्स्ट्रीन घुलनशील फाइबर की पालीमराइजेशन की औसत डिग्री 12-25 स्टार्च की तुलना में कई हजार है। स्टार्च और माल्टोडेक्स्ट्रीन के विपरीत जिनमें केवल खाद्य α- (1, 4) और α- (1, 6) ग्लूकोसिडिक लिकेंजिस, आहार फाइबर (डेक्स्ट्रीन–घुलनशील फाइबर) में 'अपच्य' α- और β- लिंकेजिस भी सम्मिलित होंगे।

आहार फाइबर (डेक्स्ट्रीन–घुलनशील फाइबर) का उपयोग निम्नलिखित खाद्य उत्पादों में अच्छी विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) स्तर तक किया जा सकेगा । इस पर खाद्य संरक्षा और मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 के उप विनियम 2.4.5 के क्रम सं. (54) में यथा उपवंधिता लेबल घोषणा को चित्रित करेगा और अवयवों के स्रोत (गेहूं/मक्का) गैर जेनेटिकलि मॉडिफाइड (जीएम) ।

क्र. सं (1)	खाद्य वस्तु (2)
1.	फलैक्स और नाश्ते के लिए तैयार शुष्क अन्न के दाने
2.	नूडल और पास्ता
3.	सलाद ड्रेसिंग या टोप्पिंग्स और स्प्रेड्स
4.	टेबल टोप फाइबर फिलर अथवा कैरियर के रूप में और अनाज
5.	अन्य स्नैक्स आहार या नमकीन
6.	बेकरी उत्पाद जिसमें बिस्कुट, कुकीज, ब्रेड केक मिक्स और पेस्ट्रीज शामिल है
7.	अन्य उत्पाद, जहां इन विनियमों के अधीन डेक्स्ट्रीन स्वीकृत हैं

परन्तु यदि उपरोक्त उत्पादों में फाइबर आहार के स्रोत का दावा आशयित है तो इसमें 3 ग्राम/100ग्राम या 1.5 ग्राम /100 कि. कैलोरी से कम सम्मिलित नहीं करेगा।

परन्तु यह और कि उपरोक्त उत्पादों में यदि फाइबर आहार के उच्च स्रोत का दावा किया गया है तो इसमें 3 ग्राम/100ग्राम या 1.5 ग्राम /100 कि. कैलोरी से कम और 6 ग्राम/100ग्राम या 3 ग्राम/100 कि. कैलोरी से अधिक सम्मिलित नहीं करेगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन—III/4/असा./171]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2—15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गए:

(i) फा. सं. 4—15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013

(ii) फा. सं. पी.15014/1/2011—पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013

(iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013

(iv) फा. सं. पी.15025/262/13—पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014

(v) फा. सं. 1—83एफ/एससीआई. पैन—अधि./एफएसएसएआई—2012, तारीख 17 फरवरी, 2015

(vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015

(vii) फा. सं. पी.15025/263/13—पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवंबर, 2015

(viii) फा. सं. पी.15025/264/13—पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवंबर, 2015

(ix) फा. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवंबर, 2015

(x) फा. सं. पी.15025/208/2013—पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवंबर, 2015

(xi) फा. सं. पी.15025/261/2013—पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवंबर, 2015

(xii) फा. सं. 1—10(1)/स्टैंडर्ड/एसपी (मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद)/एसएसएआई—2013, तारीख 11 जनवरी, 2016

(xiii) फा. सं. 3—16/विशिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य योजक) एफएसएसएआई—2014 तारीख 3 मई, 2016 और

(xiv) फा. सं. 15—03/ईएनएफ/एफएसएसएआई—2014 तारीख 14 जून, 2016.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2016

No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals) /FSSAI-2013.—Whereas the draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2014 were published as required under sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. 3-14F/ Notification(Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated the 11th December, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 6th February, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1) **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Fourth Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2) (A) In Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2.1, in sub- regulation 2.1.9,-

(i) in clause 2, after the first paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"It may contain algal and fungal oil as sources of Docosahexaenoic Acid (DHA) and Arachidonic Acid (ARA) from Crypthecodinium cohnii, Mortierella alpina, Schizochytrium sp., and Ulkenia sp. at the level of maximum 0.5 per cent. DHA of total fatty acids and ratio of ARA: DHA as 1:1 minimum:

Provided that DHA content shall not be less than 0.2 per cent. of total fatty acids, if a claim related to the addition of DHA is made.";

(ii) in clause 5, after the first paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"It may contain algal and fungal oil as sources of Docosahexaenoic Acid (DHA) and Arachidonic Acid (ARA) from Crypthecodinium cohnii, Mortierella alpina, Schizochytrium sp., and Ulkenia sp. at the level of maximum 0.5 per cent. DHA of total fatty acids and ratio of ARA:DHA as 1:1 minimum :

Provided that DHA content shall not be less than 0.2 per cent. of total fatty acids, if a claim related to the addition of DHA is made.".

(B) In the said regulations, in regulation 2.7, –

(i) in sub-regulation 2.7.1, after Sl. No. (xxv), the following Sl. No. shall be inserted, namely:-

"(xxvi) Isomaltulose at 50 per cent. (Max) of the total sugars without adversely affecting the stability of the product";

(ii) in sub-regulation 2.7.2, after Sl. No. (xvii), the following Sl. No. shall be inserted, namely:-

"(xviii) Isomaltulose at 50 per cent. (Max) of the total sugars without adversely affecting the stability of the product";

(iii) in sub-regulation 2.7.3, after Sl. No. (h), the following Sl. No. shall be inserted, namely:-

"(i) Isomaltulose at 50 per cent. (Max) of the total sugars without adversely affecting the stability of the product";

(iv) in sub-regulation 2.7.4, after the first paragraph , the following paragraph shall be inserted, namely:-

"The product may contain Isomaltulose at 50 per cent. (Max) of the total sugars without adversely affecting the stability of the product.";

(v) in sub-regulation 2.7.5, after the second paragraph, the following paragraph shall be inserted at the end, namely:-

"The ice lollies or edible ices and ice candy may contain Isomaltulose at 50 per cent. (max) of the total sugars without adversely affecting the stability of the product.".

(C) In the said regulations, in regulation 2.11, after sub-regulation 2.11.7, the following sub-regulation shall be inserted, namely -

"2.11.8: Dietary Fibre (Dextrin – soluble fibre) means glucose polymer of natural origin obtained by dextrinification, i.e. dry roasting acidified starch under specific conditions and further purified. The average degree of polymerization of Dietary Fibre (Dextrin – soluble fibre) is from 12-25 compared to several thousand for starch. Unlike starches and maltodextrins, which contain only "digestible" α- (1, 4) and α- (1, 6) glucosidic linkages, Dietary Fibre (Dextrin – soluble fibre) also shall contain "indigestible" α- and β- linkages.

Dietary Fibre (Dextrin-soluble fibre) may be used in the following food products at the level of Good Manufacturing Practices (GMP). It shall bear the label declaration as provided in serial number (54) of sub-regulation 2.4.5 of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, and the source of the ingredients (wheat/maize) shall be Non- Genetically Modified (GM):

Sl. No. (1)	Article of food (2)
1.	Flakes and ready-to-eat dry breakfast cereals
2.	Noodles and pasta
3.	Salad dressing or toppings and spreads
4.	Table top fibre as filler or carrier and cereals
5.	Other snack food or savouries
6.	Bakery products including biscuit, cookies, bread, cakes mix and pastries
7.	Other products where dextrin is allowed under these regulations.

Provided that in above products if it is intended to make claims on source of dietary fibre, it shall not contain less than 3g/100g or 1.5g/100Kcal:

Provided further that in above products if it is intended to make claims on high source of dietary fibre, it shall contain not less than 3g/100g or 1.5g/100 kCal and not more than 6g/100g or 3g/100 kCal".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./171]

Note.-The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* the following notification numbers:-

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;

(iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;

(v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;

(vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;

(vii) F. No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(ix) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;

(x) F. No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;

(xi) F. No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015 and

(xii) F. No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 11th January, 2016

(xiii) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Additive)/FSSAI-2014 dated the 3rd May, 2016.

(xiv) F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, dated 14th June, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली,13 जुलाई, 2016

सं. 3–14पी/अधिसूचना (न्यूट्रास्टिक्ल्स)/एफएसएसएआई–2013 –खाद्य संरक्षा और मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) (संशोधन) विनियम, 2014 का प्रारूप , और खाद्य संरक्षा और मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) (संशोधन) विनियम, 2015 का प्रारूप, खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप–धारा(1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या सं.3–14एफ/अधिसूचना (न्यूट्रास्टिक्ल्स)/एफएसएसएआई–2013, दिनांक 11 दिसंबर 2014 और एफ.सं.3–17/फाइटोस्टेरोल/अधिसूचना (लेबलिंग)/एफएसएसएआई–2014, दिनांक 30 जुलाई, 2015 को, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया है, जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए

और उक्त राजपत्र की प्रतियां क्रमशः 6 फरवरी, 2015 और 28 अगस्त, 2015 को जनता को ए उपलब्ध करा दी गई थी ;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:–

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य संरक्षा और मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) तृतीय संशोधन विनियम, 2016 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवर्त होंगे।

2. खाद्य संरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4 के , उप–विनियम 2.4.5. में क्र.सं. (52) के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(53) खाद्य उत्पाद के प्रत्येक पैकेट पर जिसमें आइसोमाल्टूलोज अंतर्विस्ट हो, निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात्:

आइसोमाल्टूलोज से युक्त ----- (कैलोरी)

(54) फ्लैक्स के प्रत्येक पैकेट और खाने के लिए तैयार शुष्क नाश्ता अन्न, नूडल्स, पास्ता, सलाद ड्रेसिंग या टापिंग्स और स्प्रेडस; टेबल टॉप फाइबर फिलर या कैरियर के रूप में, अनाज और अन्य खाद्य स्नैक या चटपटे और बेकरी उत्पादों जिनमें बिस्कूट, कूकीज, ब्रेड केक मिक्स और पेस्ट्रीज और अन्य उत्पाद भी सम्मलित है डेकस्ट्रीन आहार फाइबर (डेक्स्ट्रीन – घुलनशील फाइबर) युक्त हो, निम्नलिखित घोषणा लिखी होगी; अर्थात्:

फाइबर आहार (डेक्स्ट्रीन) युक्त ––– घुलनशील फाइबर आहार का स्रोत

(55) फैट स्प्रैड, दुग्ध उत्पाद, दुग्ध आधारित फ्रूट ड्रिंक, खमीराकृत दुग्ध उत्पाद, सोया और चावल ड्रिंक्स, चीज उत्पाद, दही उत्पाद, मसालेदार सोसज, सलाद ड्रेसिंग्स, जूस और नेक्टर, खाद्य तेल और अन्य बेकरी उत्पाद जो फाइटोस्टेरोल युक्त हैं, पर निम्नलिखित घोषणाए लिखी होगी; अर्थात्:

- "प्लांट सांद्रव (फाइटोस्टेरोल के रूप में) ---ग्रा/100ग्राम अथवा 100 मिली
- कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रहे रोगियों के लिए उत्पाद का प्रयोग चिकित्सीय निगरानी में होना चाहिए
- गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पोषण रूप से उपयुक्त नहीं।
- **3ग्राम/दिन, कुल स्ट्रिोल, स्टेनोल्स, या उनके मिश्रण को खाने से बचना चाहिए।**

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन—III/4/असा./171]

टिपण्णी : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3 खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2—15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और उसमे निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा पश्चातवर्ती संसोधन किए गए:

(i) फा. सं. 4—15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013

(ii) फा. सं. पी.15014/1/2011—पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013

(iii) फा. सं. 1—83एफ/एससीआई. पैन—अधि./एफएसएसएआई—2012, तारीख 17 फरवरी, 2015

(iv) फा. सं. 3—16/विशिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग) एफएसएसएआई—2014 तारीख 3 मई, 2016

(v) फा. सं. 1(94)2015/अधिसूचना पीएवंएल/एंफ/एफएसएसएआई तारीख 25 मई, 2016

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2016

No. 3-14P/Notification(Nutraceuticals)/FSSAI-2013.—Whereas the draft Food Safety and Standards (Packaging and labeling) (Amendment) Regulations, 2014 and the draft of the Food Safety and Standards (Packaging and labelling) (Amendment) Regulations, 2015 were published as required under sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. 3-14P/ Notification(Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated the 11th December, 2014 and F. No. 3-17/Phytosterol/Notification(Labelling)/FSSAI-2014, dated the 30th July, 2015 respectively in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notifications were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 6th February, 2015 and 28th August, 2015 respectively;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub- section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

2. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and labelling) Third Amendment Regulations, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Food Safety and Standards (Packaging and labelling) Regulations, 2011, in regulation 2.4, in sub-regulation 2.4.5, after serial number (52), the following serial numbers shall be inserted, namely:-

"(53) Every package of food product containing Isomaltulose shall bear the following declaration, namely:-

Contains Isomaltulose----- (calories)

(54) Every package of flakes and ready to eat dry breakfast cereals, noodles, pasta, salad dressings or toppings and spreads; table top fibre as filler or carrier, cereals and other snack food or savouries and bakery products including biscuits, cookies, bread, cake mix and pastries and other products where dextrin is allowed under these regulations containing added Dietary Fibre (Dextrin-soluble fibre), shall bear the following declarations, namely:-

Contains Dietary Fibre (Dextrin) ----- (Source of soluble Dietary Fibre)

(55) Fat spread, milk products, milk based fruit drink, fermented milk products, soy and rice drinks, cheese products, yoghurt products, spice sauces, salad dressings, juices and nectars, edible oils, and bakery products containing plant sterol shall contain the following declarations, namely:-

• Contains Plant Sterol (as Phytosterols) ---g/100g or 100ml. • Patients on cholesterol lowering medication should use the product under medical supervision • May not be nutritionally appropriate for pregnant and lactating women and children under the age of five years. • CONSUMPTION OF MORE THAN 3g/DAY,TOTAL OF STEROL, STANOLS, OR COMBINATION THEREOF, SHOULD BE AVOIDED"

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./171]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* the following notification numbers:-

i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

ii) F.No. P 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

iii) F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015;

iv) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016 and

v) F. No. 1(94)2015/Notification P&L/Enf/FSSAI, dated 25th May, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.